-1-

207

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R-4284-I-16

अपील प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

जितेन्द्र सिंह गौंड ठाकुर पिता श्री श्याम सिंह गौंड ठाकुर
उम्र 48 वर्ष निवासी – 180 ग, राधा कृष्ण मंदिर
बावली के पास , गढ़ा जबलपुर ——— अपीलार्थी

श्री .... द्वारा आज दि 22.12.16 को प्रस्तुत
22.12.16
क्लार्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

2– श्री महेन्द्र गुप्ता पिता श्री गयाप्रसाद
निवासी 106, गढ़ा रोड़, गेट नंबर 1,
कमला नेहरू नगर, जबलपुर ——— प्रति अपीलार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 116/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–11–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के तहत अपील.

22/12/16

माननीय महोदय,

847
22/12/16

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम खुख्खम प.ह.नं. पुराना 61/8 नया 20 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 57/3 रकबा 1.60 हैक्टर स्थित है । अपीलार्थी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – 4284–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.12.16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 116/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–11–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विकय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21–11–16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3– प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम खुख्खम प.ह.नं. पुराना 61/8 नया 20 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 57/3 रकबा 1.60 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि	

R 4284-पी/16 अपील जितेन्द्र सिंह गौड़ विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदित भूमि अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि अपीलार्थी अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त जो भूमि शेष बच रही है वह उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में उसे, उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विकय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–16 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को ग्राम खुख्खम प.ह.नं. पुराना 61/8 नया 20 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 57/3 रकबा 1.60 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर	